भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1478

दिनांक 03.05.2016/13 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

डी०आर०एम० की सेवाओं को नियमित करना

†1478. श्री बिष्णु पद राय :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि डेली रेटेड मजदूर (डी०आर०एम०) और ठेका श्रमिक अंडमान और निकोबार प्रशासन में पिछले 5-15 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे डी०आर०एम०/ठेका श्रमिकों (विभाग-वार) जो 5 वर्षों या इससे अधिक समय से कार्यरत हैं का ब्यौरा क्या है तथा अंडमान और निकोबार प्रशासन में मौजूदा रिक्तियों की विभाग-वार संख्या क्या है;

(ग) क्या अंडमान और निकोबार प्रशासन ने मौजूदा रिक्तियों के विरुद्ध या अधिसंख्य पदों का सृजन करके ऐसे डी०आर०एम० को नियमित करने के लिए कार्य योजना शुरु की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क) और (ख) : अण्डमान एवं निकोबार संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त दिनांक 28.04.2016 की स्थिति के अनुसार डेली रेटेड मजदूर (डीआरएम) और संविदा श्रमिकों (पांच वर्ष और इससे अधिक समय से कार्यरत) का विभाग-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I के रुप में संलग्न है। डीआरएम और संविदा श्रमिक जब कभी संबंधित विभाग द्वारा अपेक्षित हो, तब आवश्यकता के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं।

(ग) और (घ) : संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11.12.06 के का.ज्ञा. तथा उमा देवी और एम.एल.केसरी मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार डीआरएम के नियमितीकरण संबंधी मामले की जांच की है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11.12.06 के का.ज्ञा. के अनुसार वन विभाग के 123 डीआरएम की सेवाओं को नियमित किया गया है।

अनुलग्नक-। के पृष्ठ 1 का 1
लोक सभा अता० प्र० सं० 1478

दिनांक 03.05.2016 के अतारांकित प्रश्न सं. 1478 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र.सं.	विभाग का नाम	पांच वर्ष या इससे अधिक समय से कार्यरत डीआरएम/ठेका श्रमिक कर्मचारियों की संख्या	
		डीआरएम	संविदा
1	सचिवालय	28	11
2	पर्यावरण और वन	99	0
3	एपीडब्ल्यूडी	1802	10
4	स्वास्थ्य सेवाएं	18	14
5	शिक्षा	02	0
6	पोत परिवहन सेवाएं	0	65
7	परिवहन	473	23
8	सिविल आपूर्ति	04	0
9	सूचना एवं प्रचार	08	0
10	पर्यटन	10	0
11	डीसी (एसए)	10	0
12	जेएनआरएम	0	02
13	एमसीजी कॉलेज, मायाबंदर	04	01
14	जिला कारागार	0	01
15	खेल, युवा मामले, कला एवं संस्कृति	01	19
16	आरडी, पीआरआई, एंड यूएलबी	44	0
17	सीपीएओ	0	02
18	पीएमबी	19	0
19	आपदा प्रबंधन	05	0
	कुल योग	2527	148